

[Shri Hari Vishnu Kamath]

Commission, however, submitted last year an interim report which the Government had not placed before the House...

SHRI DINEN BHATTACHARYA:
...which I mentioned that day.

SHRI HARI VISHNU KAMATH:
On 15-3-78 the Minister also stated that the question of appointing a new Commission or a new Chairman of the Commission was under consideration.

In the circumstances, therefore, it is imperative in the national interest that the Government should without further delay either appoint a new Commission to complete the task assigned to Dr. Nagappa Alva, or lay on the Table of the House the interim report of the Alva Commission together with a Memorandum of action taken by Government thereon. We are all happy to know about the steady progress in the condition of Shri Jayaprakash Narayan and hope that by 'God's Grace, in his own words' ईश्वर की कृपा से he will recover fully very soon.

(ii) REPORTED SHORTAGE OF COAL IN
MADHYA PRADESH

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर):
प्रमुख महोदय विगत कई महीनों से प्रायः देश भर में कोयले की कमी के कारण कारखानों के समस्त संकटमय स्थिति बनी हुई है। इस कमी से कोई भी प्रदेश बचिप नहीं है। किन्तु मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कठिनाई है। यद्यपि 1977 के बाद से कोयले पर कोई नियंत्रण नहीं है लेकिन कोयले के परिवहन हेतु बैगनों का प्राबंटन संयुक्त संचालक यातायात (कोल) कलकत्ता द्वारा किया जाता है और राज्य को पुराने सालों में बैगन उपलब्ध न होने के कारण कोयले के परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों से उद्योगों व अन्य उपयोगकर्ताओं को उनकी क्षति

शकता के अनुसार कोयला उपलब्ध नहीं हो पाता है। परिवहन की इन कठिनाइयों से कोयले की कमी निमित्त होती है जिससे कि उद्योगों के उत्पादन तथा राज्य के औद्योगिक विकास की गति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। संयुक्त संचालक यातायात (कोल) कलकत्ता वर्ष 1971 से इस राज्य को बैगन का प्राबंटन कर रहे हैं। वर्ष 1976 में स्टीम के कोल के 2200 बैगन प्रति माह इस राज्य को प्राबंटित हुए थे। वर्ष 1976 में कोटे पर से सीलिंग हटा लिया गया था और इकाइयों को मांग के अनुसार कोटा प्राबंटित किया गया था। सीलिंग हटाने के कारण राज्य की इकाइयों के द्वारा 3576 बैगन प्रति माह की अनुमति की गई थी।

वर्ष 1978 से पुनः बैगन का कोटा प्रारम्भ हुआ तथा संयुक्त संचालक यातायात (कोल) कलकत्ता ने केवल 2000 बैगन प्रतिमास प्राबंटित किये जबकि मांग वार्षिक 27073 बैगन की प्राप्त हुई थी। अस्तु प्राप्त प्राबंटन को समानुपातिक आधार पर राज्य की सभी इकाइयों को प्राबंटित किया गया। यह प्राबंटन इकाइयों की आवश्यकता से काफी कम था।

समाचार सिकायतें प्राप्त हो रही हैं। संयुक्त संचालक यातायात (कोल) कलकत्ता अनुमति बैगनों की सीलिंग के बावजूद भी कटौत कर देते हैं और उनके स्तर से कटौत के प्रतिरक्षित अर्ध-सक दक्षिण पूर्वी रेलवे बिलासपुर पुनः और कटौत कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेलवे अधिकारी इकाइयों के नाम पर धाई हुई बैगनों को इकाइयों को न देते हुए दूसरी जगह प्रत्यावर्तित कर देते हैं।

इस सम्बन्ध में उद्योग विभाग सरकार केन्द्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारियों को लिख रहा है कि राज्य को प्राप्त 24000

वर्षक प्रतिवर्ष के कोटे को बढ़ा कर 39000 वींज प्रतिवर्ष किया जाए जिससे कि प्रौद्योगिक इकाइयां अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सकें और दिए गए सीलिंग में कोई कटौती न की जाए। विभाग के स्तर पर हर सम्भव प्रयास किए गए कि राज्य की प्रौद्योगिक इकाइयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कोयला वींज प्राप्त हो सकें किन्तु अभी तक वांछित फल नहीं मिल सका है। और प्रदेश को काफी संकट का सामना प्रौद्योगिक इकाइयों को कोयला समय पर देने में हो रहा है।

मैं सम्बन्धित माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकषिप्त कराते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बारे में तुरन्त योग्य व प्रभावी व्यवस्था करें जिससे प्रदेश में व्याप्त कोयले की कमी का संकट दूर हो सके।

(iii) REPORTED OPENING OF LIQUOR SHOPS IN RESIDENTIAL COLONIES OF DELHI

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान समाचार-पत्रों में छपी इस खबर की ओर दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली प्रशासन ने शराब की दुकानें डी एस आई डी सी के माध्यम से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में खोलने का निश्चय किया है। यह निर्णय तो अफसोसनाक है ही, इससे भी अधिक अफसोस की बात यह है कि यह दुकानें बंगाल बस्तियों के बोचोबीच खोली जा रही हैं। इसका एक उदाहरण है— राजीवो गार्डन जी- ७ क्षेत्र, मायापुरी एम आई डी फ्लैटों में डी डी ए द्वारा बनाए गए सुविधाजनक विपणन केन्द्र में शराब की नई दुकान खोलना। यह सुविधाजनक केन्द्र बस्ती के बिल्कल बीच में बना हुआ है और इस प्रकार के केन्द्रों को फ्लैटों की दीवारों की अकरतों की पूरा करने के लिए बनाया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली प्रशासन ने शराब की दीवारों की आवश्यकता मान लिया है

और यह भी सरकारी कर्मचारियों के लिए क्योंकि इस कालोनी में अधिकतर सरकारी कर्मचारी ही रहते हैं और हाल में दो सी के करीब फ्लैटों को एस्टेट आफिस ने डी डी ए से खरीदा है और सरकारी कर्मचारियों की एलाट किया है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि डी डी ए ने नियमों का उल्लंघन करके सुविधाजनक विपणन केन्द्र में शराब की दुकान खोलने के लिए किस आधार पर अनुमति दी है।

मुझे बताया गया है कि इस सिलसिले में कालोनी के प्रतिनिधि मंडल ने धारणीय प्रधान मंत्री से भी मेट की है तथा दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्श्व भी साहनी एवं प्राबकारी विभाग के कार्यकारी पार्श्व भी राजेश शर्मा और डी डी ए तथा डी एस आई डी सी के संबंधित अधिकारियों से भी मुलाकात कर उन्हें जापन दिया है। इस सम्बन्ध में कालोनी की महिलाओं की प्रतिनिधि संस्था "प्रगति महिला मंडल" की ओर से उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री जी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों और नेताओं को जोरदार विरोधपत्र भेजे गये हैं, जिनमें ऐसी दुकान खोलने पर महिलाओं द्वारा धरने दे कर शराब की बिक्री बन्द करवाने की बात भी कही गई है। इस सबसे यह स्पष्ट है कि वहाँ के लोग इस दुकान के खोलने से किस प्रकार चिन्तित हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए तो वहाँ खरोबदारी के लिए जाना भी दूर हो जाएगा।

धत: मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का कष्ट करें और शराब की दुकानों को रीहायती बस्तियों में न खोलने का दिल्ली प्रशासन को निर्देश दें।

(iv) STAGE OF HEALTH OF SHRI J. B. KRIPALANI

श्री विभागाध्यक्ष जलाल अहमद: (सदरता) सम्बन्धित महोदय, मैं आपकी अनुमति के बिना